भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4783

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों का विस्तार और खेती

4783. डॉ. राजेश मिश्राः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री महेश कश्यपः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री दामोदर अग्रवाल:
डॉ. के. सुधाकरः
श्री नलिन सोरेनः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री बलभद्र माझीः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री भोजराज नागः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री दुलू महतोः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री रमेश अवस्थीः
श्री विजय कुमार दूबेः
डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा जारी की गई धनराशि का झारखंड, जम्मू-कश्मीर तथा विशेष रूप से ओडिशा के नबरंगपुर जिले सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के कारण देश में औषधीय पौधों के क्षेत्रफल के विस्तार और उनकी खेती पर पड़े महत्वपूर्ण प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से राजस्थान के पाली संसदीय क्षेत्र में औषधीय पौधों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरआईटी) प्रजातियों के उस स्थान पर और अन्यत्र संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) औषधीय पौधों के उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुँच में सुधार तथा मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित करने में ई-चरक मोबाइल एप्लिकेशन का क्या प्रभाव रहा है; और

(ङ) क्या औषधीय पौधों के रोपण के बाद उनके जीवित रहने की दर, उत्पादकता तथा औषधीय पौधों की खेती करने वाले कृषकों की आय में वृद्धि की निगरानी के लिए कोई मौजूदा तंत्र उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय पिछले पांच वर्षों के दौरान झारखंड, जम्मू और कश्मीर तथा ओडिशा सहित पूरे देश में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ख): एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना की औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (एकीकृत घटक) के तहत परियोजनाओं के लिए सहायता दी है, जिसमें औषधीय पौधों की खेती के लिए रोपण सामग्री उगाने हेतु गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) के लिए अवसंरचना हेतु परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जाती है, इसके साथ ही किसानों को जागरूक करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलाप चलाने, फसल कटाई के बाद प्रबंधन हेतु और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा और औषधीय पौधों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज का मूल्य वर्धन करने, लाभप्रदता बढ़ाने और नुकसान को कम करने, गुणवत्ता परीक्षण तथा कच्चे माल का प्रमाणन करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से एकीकृत घटक के तहत, एनएमपीबी द्वारा देश भर में विभिन्न संगठनों को कुल 15 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है ताकि किसानों को गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) उपलब्ध कराकर, लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को औषधीय पौधों की खेती के तहत शामिल किया जा सके। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जम्मू और कश्मीर औषधीय पादप बोर्ड को 82.50 लाख रुपये की राशि की एकीकृत घटक परियोजना स्वीकृत की गई थी ताकि औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को वितरित करने हेतु रोपण सामग्री उगाई जा सके तथा फसल कटाई के बाद प्रबंधन और विपणन हेतु बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा सके।

(ग): उपर्युक्त केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, राजस्थान राज्य सहित देशभर में औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एमपीसीडीए) की स्थापना करके तथा वन क्षेत्रों में स्व-स्थाने संसाधनों में वृद्धि करके और नियत किए गए वन क्षेत्रों से बाहर बाह्य-स्थाने संसाधनों में वृद्धि करके औषधीय पौधों की दुर्लभ, संकटापन्न और खतरे में पड़ी (आरईटी) प्रजातियों का संसाधन संवर्धन/रोपण कराकर, राज्य वन विभागों को औषधीय पादपों के उनके प्राकृतिक पर्यावासों में स्व-स्थाने संरक्षण के लिए परियोजना आधारित सहायता दे रहा है।

(घ): औषधीय पौधों के व्यापार और उनकी आसान बाजार पहुंच बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय ने "ई-चरक" मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया है ताकि औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों को बढ़ावा दिया जा सके और उनका विपणन किया जा सके। "ई-चरक" एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर में विभिन्न हितधारकों, मुख्य रूप से औषधीय पौधों के क्षेत्र में शामिल किसानों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। "ई-चरक" एप्लिकेशन विभिन्न स्थानीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और यह पूरे भारत में 25 हर्बल बाजारों से 100 एमपी का पाक्षिक बाजार मूल्य भी प्रदान करता है। वर्तमान में, ई-चरक मोबाइल एप्लिकेशन में 11037 पंजीकृत उपयोगकर्ता, 3,05,41,062 विजिटर्स, 7,587 पोस्ट किए गए आइटम और 71,14,683 क्रेताओं-विक्रेताओं के बीच संपर्क हैं।

(ङ): एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन करता है। यह निगरानी एनएमपीबी के क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के माध्यम से की जाती है ताकि पौधरोपण की जीवितता, खेती की पद्धतियों, उत्पादकता स्तरों और किसानों को होने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभों का प्रभावी तरीके से पता लगाया जा सके।

इसके अलावा, औषधीय पौध उत्पादकों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए, एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय अपने क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के माध्यम से गुणवत्ता रोपण सामग्री (क्यूपीएम) वितरित करता है और उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी), उत्तम क्षेत्र संग्रह पद्धतियों (जीएफसीपी) और फसल कटाई के बाद प्रबंधन (पीएचएम) पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण देता है।

संलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई निधि (₹ लाख में)
1.	अंडमान और निकोबार	1	24.50
2.	आंध्र प्रदेश	16	466.78
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	79.67
4.	असम	24	1063.00
5.	बिहार	2	43.09
6.	चंडीगढ़	3	58.32
7.	छत्तीसगढ़	5	158.25
8.	दिल्ली	39	1116.84
9.	गोवा	1	47.24
10.	गुजरात	14	1348.02
11.	हरियाणा	16	515.72
12.	हिमाचल प्रदेश	20	730.12
13.	**जम्मू और कश्मीर**	**14**	**679.40**
14.	**झारखंड**	**6**	**14.20**
15.	कर्नाटक	32	1585.04
16.	केरल	31	1379.74
17.	लद्दाख	4	91.75
18.	लक्षद्वीप	0	26.17
19.	मध्य प्रदेश	27	594.03
20.	महाराष्ट्र	25	828.99
21.	मणिपुर	8	141.94
22.	मेघालय	2	31.15
23.	मिजोरम	7	325.77
24.	नागालैंड	3	97.93
25.	**ओडिशा**	**20**	**150.28**
26.	पंजाब	13	195.48
27.	पुडुचेरी	4	96.75
28.	**राजस्थान**	**12**	**224.26**
29.	सिक्किम	3	520.22
30.	तमिलनाडु	51	687.31
31.	तेलंगाना	14	544.47
32.	त्रिपुरा	1	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	38	1096.64
34.	उत्तराखंड	26	700.21
35.	पश्चिम बंगाल	11	842.22
	कुल	**498**	**16505.50**